न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 94 / 2022

प्रार्थी

उत्तम कुमार पुत्र हजाराम जी, जाति– सेन, निवासी–पालडी एम., तह. शिवगंज व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही
(2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही
(3) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 26 मार्च, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकः 69 / 2022–-2023 दिनांक 02.7.2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, पालडी एम से प्रश्नगत नोटिस से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा दिनांक 20.08.1964 को अपने व्यवसाय हेतु भूमि केबिन रखने हेतु 4/– रूपये प्रतिमाह की दर से किराये पर दी गई थी जिस पर प्रार्थी द्वारा कच्चा केलुपोश अर्थात् केबिन लगाकर हेयर कटिंग सेलुन का व्यवसाय अपने बाप दादाओं के समय से करता आ रहा है और उक्त किरायेदारी प्रार्थी के दादाजी के समय से चली आ रही है। प्रार्थी को अपने दादाजी के समय से अपनी आजीविका हेतु किराये शुदा भूमि पर हेयर कटिंग का व्यवसास करता आ रहा है जिसमें अप्रार्थीगण की सहमति से बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है एवं प्रार्थी ने व्यवसाय हेतु किराये पर ली भूमि पर केबिन बनाकर 40–50 हजार रूपये खर्च किये। जिसका किराया प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जमा करवाता आ रहा है। जिसकी रसीद अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को जारी की हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.07.2022 को एक नोटिस प्रेषित कर माह नवम्बर 2020 से अप्रेल 2022 तक केबिन किराया राशि प्रतिमाह 1,000/– (अक्षरे एक हजार रूपये) की दर से रूपये 18,000/– (अक्षरे अठारह हजार रूपये) जमा करवाने हेतु नोटिस प्रेषित किया कि उक्त बकाया राशि 03 दिन के भीतर भीतर राशि जमा करावें, अन्यथा विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर बेदखली

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

की कार्यवाही की जायेगी। उक्त नोटिस सर्वथा विधि विरुद्ध व राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरित है एवं ग्राम पंचायत, पालडी एम के सरपंच ने नियमों का उल्लंघन करते हुए हठधर्मिता व राजनैतिक द्वेषतावश प्रार्थी को नोटिस प्रेषित किया है। यह कि वर्ष 2020 व 2021 में पूर्ण रूप से कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन होने से राज्य सरकार द्वारा किराया माफ किया गया था उसके बावजूद भी किराया राशि की मांग की जा रही है जो गलत की जा रही है। यह कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत पालडी एम को नियमित रुप से समय समय पर किराया जमा करवाया गया है। वर्ष 2016 से अक्टूम्बर, 2020 तक किराया ग्राम पंचायत में दिनांक 05.11.2021 को जमा करवाया है। दिसम्बर, 2020 तक केबिन किराया राशि रुपये 218/– एवं प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढोतरी अनुसार किराया 240/– रुपये था। राजस्थान पंचायती राज नियमों के नियम 164 के तहत प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढोतरी अनुरुप वर्ष 2021 में रुपये 240/– (अक्षरे रुपये दो सौ चालीस) हुये एवं वर्ष 2022 में रुपये 240/– (अक्षरे रुपये दो सौ चालीस) पर 10 प्रतिशत बढोतरी करने पर प्रतिमाह 264/– (अक्षरे रुपये दो सौ चौसठ) की दर से किराया अदायगी की जानी थी, लेकिन ग्राम पंचायत, पालडी एम के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने नियम विरुद्ध तरीके से नवम्बर, 2020 से प्रतिमह रुपये 1,000/– (अक्षरे एक हजार रुपये) बढोतरी कर किराया राशि अप्रेल, 2022 तक कुल 18,000/– (अक्षरे अठारह हजार रुपये) बकाया होना बताकर नोटिस प्रेषित किया है, जो अवैध व शून्य है। चूंकि ग्राम पंचायत को केबिन किराये की राशि प्रतिमाह रुपये 1,000/– (अक्षरे एक हजार रुपये) बढाने का अधिकार नहीं था एवं न ही राजस्थान पंचायती राज नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है, बल्कि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि ही बढाई जा सकती है और यदि ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा पारित किया गया है तो ऐसा प्रस्ताव भी राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि माह जनवरी 2021 से 10 प्रतिशत की बढोतरी अनुसार रुपये 240/– (अक्षरे एक दो सौ चालीस रुपये) प्रतिमाह किराया होता हैं उसी अनुसार जनवरी, 2022 से बढोतरी कर प्रतिमाह किराया राशि 264/– (अक्षरे दो सौ चौसठ रुपये) राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत बढ़ाया जा सकता हैं उस अनुसार ग्राम पंचायत, पालडी एम को जनवरी, 2021 से प्रतिमाह रुपये 240/– (अक्षरे दो सौ चालीस रुपये) की दर से व जनवरी, 2022 से प्रतिमाह रुपये 264/– (अक्षरे दो सौ चौसठ रुपये) किराया राशि ग्राम पंचायत, पालडी एम प्राप्त करने की अधिकारी है। ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा जो नोटिस रुपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रुपये) किराया होना बताकर प्रेषित किया है वह विधि विरुद्ध है। राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत जो भी राशि बनती हैं वो राशि प्रार्थी ग्राम पंचायत, पालडी एम में जमा करवाने हेतु तैयार है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164(3) के तहत किराये पर दी गई सम्पत्ति या भूमि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि बढाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। इससे ज्यादा किराया बढ़ाने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत, पालडी एम के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा केवल मात्र गरीब लोगो को परेशान करने की नियत से नोटिस जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, पालडी एम की सरपंच महिला हैं व उसके द्वारा कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की जाती हैं बल्कि उसके ससुर द्वारा स्वयं हस्ताक्षर कर राजनैतिक प्रभाव का दुरूपयोग कर गलत नोटिस जारी किया हैं एवं हस्ताक्षर महिला सरपंच द्वारा नहीं किये जाकर उसके ससुर द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर नोटिस जारी किया है। अप्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी जो कि राज्य सरकर द्वारा अधिकृत है उसका दायित्व है कि कोई भी पंचायत की प्रोसेडिंग में गलत प्रस्ताव लिया जाता है तो उस पर डीसेन्ट ऑफ नोट लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज की जाती है, लेकिन अप्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी ने भी ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा विधि विरुद्ध पारित प्रस्ताव के

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

संबंध में अपने कर्त्तव्य का पालन नही किया। यह कि प्रार्थी द्वारा रुपये 1000/- (अक्षरे एक हजार रूपये) किराया बढोतरी करने के संबंध में ग्राम पंचायत से प्रोसेडिंग की नकल की मांगनी की गई, लेकिन ग्राम पंचायत की हठधर्मिता के कारण आज दिन तक प्रोसेडिंग की नकल प्रार्थी को नहीं दी गई। इस प्रकार, ग्राम पंचायत ने गरीब किरायेदारो से ज्यादा राशि हडपने के आशय से जो नोटिस प्रेषित किया है वह विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी को जारी उक्त नोटिस दिनांक 02.7.2022 को निरस्त किया जावे एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164 के तहत विधि अनुसार किराया राशि लेने हेतु ग्राम पंचायत, पालडी एम को निर्देशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री धवल ने अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सन् 1964 में ग्राम पचायत पालडी द्वारा अपनी स्वयं के आय का स्त्रोत बढाने के लिय ग्राम पचायत पालडी एम ने अपनी स्वयं के मालिकी स्वामित्व के भूखण्ड पर बनी हुई 10 बाय 10 वर्गफिट केबिन स्वरोजगार हेतु प्रार्थी के दादा को अस्थायी तौर पर आंवटित कर हैयर कटिगं सैलुन का व्यवसाय करने हेतु दी थी। ग्राम पंचायत, पालडी एम ने प्रार्थी के दादा को स्थायी रूप से आवटित नहीं कर केवल मात्र अस्थायी रूप से किराये पर दी है। अप्रार्थी ग्राम पचायत, पालडी एम ने अपने मालिकी स्वामित्व के उक्त केबीन को बतौर किरायेदार प्रार्थी को आवटित किया है लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी ग्राम पचायत पालडी एम की जानकारी व सहमति के बिना उक्त किराये के परिसर पर राजस्थान पचायती राज अधिनियम व नियमों के विपरित अपनी दबंगता दिखाते हुये पक्का निमार्ण कार्य किया है। प्रार्थी को उपरोक्त भुमि पर केबिन की जगह पक्की दुकान बनाने की अप्रार्थी ग्राम पचायत, पालडी एम द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी ग्राम पचायत, पालडी एम द्वारा अस्थायी रूप से व्यवसाय करने हेतु आवंटित परिसर का किराया नियमित रूप से अदा नही किया जा रहा था जिस पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा नोटिस क्रमांक 69 दिनांक 02.07.2022 को प्रार्थी को प्रेषित किये जाने पर प्रार्थी ने किराया राशि 18000/- रुपये दिनांक 22.04.2022 तक अदा नही की है तथा प्रार्थी द्वारा नवम्बर, 2020 से किराया राशि अदा नही की जा रही है और उक्त परिसर पर प्रार्थी द्वारा व्यवसाय नही किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा नवम्बर माह के बाद ग्राम पंचायत के मालिकी व स्वामित्य के केबिन का किराया नियमित रूप से अदा नही किये जाने पर ग्राम पचायत, पालडी एम ने प्राथी को व्यक्तिगत रूप से किराया राशि अदा करने की मांग की, लेकिन प्राथी द्वारा नवम्बर, 2020 के बाद भी नियमित रूप से किराया की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर दिनांक 28.10.2020 को ग्राम पंचायत, पालकी एम द्वारा पंचायत सदस्यों की मौजूनगी में बैठक में यह निर्णय पारित किया गया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अस्थायी रूप से ही गई दुकानों का किराया काफी समय वर्षो से जमा नही करवाया जा रहा है तथा समस्त किरायेदारों को नोटिस जारी करना एवं किराये राशि में अप्रार्थी ग्राम पंचायत पालकी एम में संचालित अन्य दुकानों की किराया राशि की तुलना में किराया अत्यन्त कम होने से ग्राम पंचायत, पालडी एम के आय को स्त्रोत बढ़ाने के लिये ग्राम पंचायत पालडी एम ने किराये की राशि पक्की दुकानों का किराया रुपये 1,000/- (अक्षरे एक हजार रूपये) प्रतिमाह किये जाने का निर्णय प्रस्ताव संख्या 03 में 04 के द्वारा बैठक में सदस्यों की मौजूदगी में पारित किया तथा उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 22.04.2022 को अप्रार्थी ग्राम पचायत, पालडी एम द्वारा नोटिस क्रमांक 19 प्रार्थी को जारी कर किराया राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया है। उक्त नोटिस अप्रार्थी ग्राम पचायत पालडी एम ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में दिया है उक्त नोटिस प्रार्थी को प्राप्त होने के वाबजुद भी प्रार्थी द्वारा किराया राशि अदा नही किये जाने का

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कोई युक्तियुक्त कारण अप्रार्थी ग्राम पचायत पालडी एम को आज दिनांक मे नही दिया है तथा प्रस्ताव संख्या 03 व 04 की जानकारी प्रार्थी को हो जाने के बावजुद भी उक्त प्रस्ताव सख्या 03 व 4 को प्राथी द्वारा किसी सक्षम न्यायालम/सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है उक्त प्रस्ताव संख्या आज भी विधिवत अस्तित्व में है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस क्रमांक 19 दिनांक 22.04.2022 प्रेषित किये जाने के बाद दिनांक 24.06.2022 को नोटिस कमांक 63 प्रेषित कर बकाया राशि जमा करवाने हेतु जारी किया गया है। उक्त नोटिस कमांक 19 व 63 आज भी विधिवत् प्रभाव में है। प्रार्थी द्वारा नवम्बर, 2020 से नियमित रुप से किराया भी अदा नहीं कर रहा था जिससे पंचायत की निजी आय प्रभावित हो रही थी। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पदीय कतव्यों के निवर्हन में प्रार्थी को नोटिस क्रमाक 19, 63 व 69 जारी किया है जो आज भी प्रभाव में है। ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा जारी उक्त नोटिसों का प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, पालडी एम. को जवाब प्रस्तुत नही किया है व न ही किराया राशि ग्राम पंचायत को अदा की गई है। प्रार्थी अपनी हठधर्मिता व दबंगता से उक्त किराये के परिसर में व्यवसाय कर रहा है, लेकिन किराये की राशि पंचायत को अदा नही कर रहा है व न ही परिसर खाली कर रहा है। उक्त प्रश्नगत सम्पति ग्राम पंचायत, पालडी एम. के मालकी व स्वामित्व की सम्पति है, जो ग्राम पंचायत पालडी एम द्वारा प्रार्थी को अस्थाई तौर पर किराये पर दी गई है तथा इसका किराया भी प्रार्थी द्वारा नियमित रुप से अदा नही किया जा रहा है, इसलिये ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम. द्वारा प्रार्थी व उसके भाईयों के विरुद्ध नोटिस क्रमांकः 69/2022–2023 दिनांक 02.7. 2022 को इस आशय का जारी किया गया है कि "ग्राम पंचायत भूमि पर केबिन/दुकान आपको ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तो पर आवंटित किया गया था। विगत माह नवम्बर, 2020 से अप्रेल, 2022 तक आपके केबिन किराये की राशि रुपये 18,000/– बकाया चल रहा है। उक्त राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने हेतु नोटिस क्रमांक 19 दिनांक 22.4.2022 जारी किया गया था जिसके बाद भी किराया राशि जमा नही करवाई गई है व आप जानबूझ निर्धारित आवंटन शर्तो का उल्लंघन कर रहे है, इसलिये नोटिस प्राप्ति की तीन दिन के भीतर आदिनांक तक बकाया राशि ग्राम पंचायत, पालडी एम में जमा करवाये, अन्यथा आपका विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने की कार्यवाही हेतु विद्युत विभाग को लिखा जायेगा व केबिन/दुकान से बेदखल की कार्यवाही की जायेगी एवं राशि जमा हेतु पी.डी. आर एक्ट में कार्यवाही की जायेगी।"

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी को उक्त बकाया किराया राशि जमा करवाने हेतु नोटिस क्रमांकः 19 दिनांक 22.4.2022 को एवं नोटिस क्रमांकः 63/2022–2023 दिनांक 24.6.2022 को भी जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम की बैठक दिनांक 28.10.2020 में प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई रुप से दी गई दुकानों का काफी समय से किरायेदारों द्वारा किराया जमा नही करवाने से समस्त किरायेदारों को नोटिस जारी करने एवं नियमानुसार प्रति वर्ष 10 प्रतिशत राशि अधिक करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत, पालडी एम की उक्त पंचायत बैठक दिनांक 28.10.2020 मे प्रस्ताव संख्या 4 में ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई किराया पर दी गई दुकानों, जिनमें पक्की दुकानों का रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार) प्रतिमाह, कच्ची दुकान का रुपये 500/– (अक्षरे रुपये पांच सौ)

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रतिमाह एवं लॉरी का रुपये 300/– (अक्षरे रुपये तीन सौ) प्रतिमाह करने का निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा ग्राम पंचायत, पालडी एम की उक्त बैठक दिनांक 28.10.2020 में पारित उक्त प्रस्ताव संख्या 3 व 4 के अनुसरण में प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर आवंटित केबिन/दुकान का बमाह नवम्बर, 2020 से अप्रेल, 2022 तक प्रतिमाह रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार) की दर से बकाया किराया राशि रुपये 18,000/– (अक्षरे रुपये अठारह हजार) ग्राम पंचायत में जमा करवाने हेतु प्रार्थी व उसके भाईयों को नोटिस जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 163 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि को अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दुकानें और अन्य वाणिज्यिक स्थल तीन वर्ष से अनाधिक के लिये नियम 151 में वर्णित सदस्यों की समिति द्वारा खुली नीलामी के जरिये दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164(3) ऐसे परिसरों को किराये पर देने के पट्टा करारों में किराया रकम में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढाने की शर्त सम्मिलित होगी तथा नियम 164(4) के अनुसार यदि परिसर 3 वर्ष की समय सीमा के पश्चात् खाली नही किये जाये, या वे करार के निर्बन्धनों के अतिक्रमण में किसी भी अन्य व्यक्ति को उप पट्टे पर दे दिये जाये अथवा किराया नियमित रुप से जमा नही कराया जाये, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिसर की बेदखली के लिये हेतुक दर्शित करने का नोटिस देने के बाद परिसर खाली करवाया जायेगा, यदि संबंधित पंचायत या पंचायत समिति द्वारा ऐसा निवेदन किया गया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(5) के अनुसार पंचायत या पंचायत समिति तीन वर्ष की अवधि बढाने के विषय पर बातचीत भी कर सकेगी, किन्तु ऐसे मामलें में पारस्परिक करार द्वारा किराये में की जाने वाली वार्षिक वृद्धि की रकम 20 प्रतिशत होगी।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा केबिन रखने हेतु किराये पर दी गई भूमि पर प्रार्थी ने पंचायत की अनुमति के बिना पक्की दुकान बनाई है, जबकि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अस्थाई उपयोग हेतु पंचायत के स्वामित्व की भूमि केबिन रखने हेतु किराये पर आवंटित की गई है। अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम के जवाब एवं ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा दिनांक 28.10.2020 को पारित उक्त प्रस्तावों से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा पंचायत की आय बढाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर आवंटित केबिन/दुकानों के परिसर की प्रतिमाह किराया राशि में बढोतरी करते हुए प्रार्थी व उसके भाईयों को बकाया किराया राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने हेतु उक्त नोटिस जारी किये गये है, जो विधि अनुरुप है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला ... सिरोही